

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] मई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 1984/ज्येष्ठ 29, 1906
No. 80] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 1984/JYAISTHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

मई दिल्ली, 19 जून 1984

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिप्रवायगो/सा० सू० 13/84

फा० सं० 600/1201-1202/84-प्र० प्र० :- सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
प्रतिप्रवायगी, नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971
में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र० प्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय
सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रवायगी/सा० सू० 1, तारीख
15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधित करती है :-

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART I—SEC. 1)

(1) उपक्रमांक 1201 तथा 1202 के मामले "माल का विवरण" के स्तम्भ में निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

उपक्रमांक	निम्नलिखित विवरण के स्थान पर	निम्नलिखित विवरण पढ़ें
1	2	3
1201.	श्रीषध-द्रव्य, श्रीषध मध्यवर्ती तथा श्रीषध उत्पादन, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	श्रीषध-द्रव्य तथा श्रीषध उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
1202.	श्रीषध-द्रव्य, श्रीषध मध्यवर्ती तथा श्रीषध उत्पाद, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	श्रीषध-द्रव्य तथा श्रीषध उत्पाद, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

यह सार्वजनिक सूचना दिनांक 1 जून 1984 से प्रवृत्त हुई मानो जाएगी ;

जे० गोपीनाथ, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(INDIRECT TAXES DIVISION)

New Delhi, the 19th June, 1984

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN 13/84

F.No 600/1201-1202/84-DBK :— Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70 DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Public Notice No. DRAWBACK-PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time

(1) In column 'Description' against sub-serial No. 1201 & 1202 the following description shall be substituted, namely :—

S. No.	For Description	Read Description
1	2	3
1201	Drugs, Drug Intermediates and Pharmaceuticals products, not elsewhere specified	Drugs and Pharmaceutical products not elsewhere specified.

1	2	3
1202	Drugs, Drugs Intermediates and pharmaceutical products, not otherwise specified.	Drugs and pharmaceutical products not otherwise specified.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st June, 1984

J. GOPINATH, Under Secy.

